-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना बदौसा पुलिस द्वारा कबाड़ की दुकान में चोरी करने वाले वांछित अभियुक्तों को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी का कबाड़ का सामान बरामद ।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बदौसा पुलिस द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 03 अभियुक्तों को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना बदौसा क्षेत्र के ग्राम निजामीनगर अंश दुबरिया के रहने वाले नरेन्द्र कुमार ने दिनांक 25.08.2025 को थाना बदौसा पर सूचना दी कि उसकी कबाड़ की दुकान में कुछ लोगों द्वारा दिनांक 24.08.2025 की रात्रि को चोरी कर ली गई है । जिसके सम्बन्ध में थाना बदौसा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे । इसी क्रम में आज दिनांक 26.08.2025 को थाना बदौसा पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल 03 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया । तलाशी में के दौरान उनके कब्जे से एक अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित चोरी किया हुआ कबाड़ का सामान बरामद हुआ । कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसने कुछ दिन पूर्व ग्राम निजामीनगर अंश दुबरिया में चोरी किये थे ये कबाड़ का सामान उसी चोरी का है । पुलिस द्वारा अभियुक्तों के पास से बरामद अवैध तमंचा, कारतूस, कबाड़ का सामन को कब्जे में लेकर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा गया ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस
- 04 एल्यूमिनियम के ढक्कन
- 02 टूटी साइकिल
- 01 साइकिल रिक्शा की कमानी

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रहीस खान पुत्र इदरीश खान निवासी ग्राम निजामीनगर अंश दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा ।
2. खुर्शीद खान पुत्र हमीद खान निवासी ग्राम निजामीनगर अंश दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा ।
3. संतोष पुत्र लल्लू वर्मा निवासी ग्राम निजामीनगर अंश दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 143/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना बदौसा जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0 144/25 धारा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बदौसा जनपद बांदा ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त रहीश खान -

3. मु0अ0सं0 45/22 धारा 384/385/506 भादवि थाना बदौसा जनपद बांदा ।
4. मु0अ0सं0 59/24 धारा 323/342/387/504/506 भादवि व 3(1)(घ)/3(1)(द)/3(2)(va) एससी एसटी एक्ट थाना बदौसा जनपद बांदा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री रामनारायण सरोज
2. कां0 दिनेश यादव
3. कां0 मिथलेश कुमार
4. कां0 अनुराग यादव